प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 12.07.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 223 वाहनों से 3,33,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 223 वाहनों 3,33,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 256/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द,ध , 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू गुप्ता पुत्र राजमन गुप्ता ग्राम जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.07.2026 को देवकली जीवधरा जाने वाले तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 29.06.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 अनुराग सिंह, का0 अर्पित।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 280/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुजीत कुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी सीयर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 08.07.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल - उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता बलवंत चौहान उर्फ गोलू पुत्र राजेश निवासी बगहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कबीर चौराहा के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ दिनाँक 12.07.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 627/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. बलवंत चौहान उर्फ गोलू पुत्र राजेश निवासी बगहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 मनीष कुमार यादव, का0 भानूप्रताप सिंह, का0 शुभम राजपूत।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 533/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विकाश उर्फ विक्की पुत्र दुक्खी निवासी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 12.07.2026 को रेलवे स्टेशन खलीलाबाद, मालगोदाम के पास गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल - उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार तिवारी, का0 सुमित मिश्रा, म0का0 महिमा यादव।